No. EDN-H (21) F (10) 14/2022- -SUPER 100-L
Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1
Telephone: 0177-2653120, 2653386,2653575 Extn. 234 Fax: 2812882
E-mail:genbr@rediffmail.com
E-mail: genbr@rediffmail.com

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा
06 JUN 2022

Dated: Shimla-171001 the May, 2022

To

All the Deputy Directors of Higher Education in
Himachal Pradesh

Subject: - **Regarding Instructions guidelines to the students under Swaran jayanti Super-100.**

Please find enclosed herewith a copy of instruction/guidelines for the students under Swaran Jayanti Super-100 scheme 2021-22.

In this connection, you are directed to circulate the same amongst all the concerned students as well as to their parents so that the process of coaching and disbursement of the amount to the students could be initiated smoothly. Further, it is directed that students may be given proper guidance at every level so that he/she could get proper education as per his/her will.

This may be treated as most urgent.

Director of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla-1

The Technical official (Computer Cell) is hereby requested to upload the letter on Departmental Website.

S Sharma
06/06/2022

"स्वर्ण जयन्ती सुपर 100"
विद्यार्थियों के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश

1 विद्यार्थी वित्तीय मदद का उपयोग कोचिंग फीस देने के लिए, आनॅलाइन कोचिंग के लिए इंटरनेट डाटा पर होने वाले खर्चे,किताबें व मुद्रित अध्ययन सामग्री को खरीदने के लिए कर सकते है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गेजेट जैसे मोबाइल आइपैड, लेपटॉप आदि के लिए ये राशि खर्च नही की जा सकती है। विद्यार्थी लघु अवधि की कोचिंग लेने के लिए संस्थान की फीस अदा करने और इस दौरान भोजन व आवास पर होने वाले खर्चे हेतु इस राशि का उपयोग कर सकते है। लघु अवधि की कोचिंग कोई भी चयनित विद्यार्थी ले सकता है।

2 विद्यार्थियों को खर्च होने वाली राशि की रसीद/ बिल सेवा प्रदाता या दुकानदार से लेना अनिवार्य है। प्रारम्भ में रूपये 30000/ की अग्रिम राशि चयनित विद्यार्थियों को दी जाएगी। उस राशि का स्कूल के मुखिया द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर आवश्यकतानुसार अगली किस्त का भुगतान मांग के आधार पर या बिल प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी के खाते मे **DBT** के माध्यम से किया जाएगा। बिल उसी राशि के दें जो वास्तव में खर्च हुआ हो।

3 कोचिंग संस्थान का चयन विद्यार्थी को स्वयं करना होगा। इस संबध मे विद्यार्थी प्रधानाचार्य और गुरूजनों का मार्गदर्शन ले सकते हैं। एक बार चुने गए कोचिंग संस्थान में बदलाव नहीं किया जाएगा अतः कोचिंग संस्थान का चुनाव सोच समझ कर करें। केवल असाधारण परिस्थितियों में इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र पर विचार किया जा सकता है।

4 यदि विद्यार्थी कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन कोचिंग लेता है तो उसे नियमित तौर पर हर महीने अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा।

5 विद्यार्थी की विद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है।

6 विद्यार्थी भविष्य में होने वाले व्यय की मांग बिना विलम्ब के प्रधानाचार्य द्वारा इस निदेशालय को प्रस्तुत करें।

7 "स्वर्ण जयन्ती सुपर 100" की विस्तृत जानकारी के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय के वैबसाइट पर उपलब्ध 11 जनवरी 2021 की अधिसूचना को देखा जा सकता है।

8 स्कूल के प्रधानाचार्य सम्बन्धित विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के किसी भी विलम्ब के लिए उत्तरदायी होगें तथा अपने सम्बन्धित संस्थान के छात्र/छात्रा की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करेगे।

9 योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई +2 कक्षा तक सरकारी स्कूल में जारी रखनी होगी। यदि लाभार्थी छात्र/छात्रा प्राईवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेतें है तो स्कूल के प्रधानाचार्य ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्र/छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि उनके माता–पिता द्वारा बैंक ड्राफट के रूप में वापस ले ली जाए क्योंकि यह योजना केवल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं के लिए है।

10 प्रतियोगिता से सम्बन्धित पाठय सामग्री आवश्यक्ता अनुसार ही खरीदें। जरूरत से ज्यादा पाठय सामग्री खरीदने पर खर्चा विद्यार्थी को स्वयं वहन करना होगा। सम्बन्धित प्रवक्ता इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे।

11 इस योजना के अर्न्तगत लाभार्थी को अधिकतर 1लाख रूपये देने का प्रावधान है। आवश्यक्ता अनुसार खर्चा कम भी किया जा सकता है। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा कड़ी मेहनत ईमानदारी और अध्यापकों का मार्गदर्शन अपेक्षित है।

12 यह योजना उच्चतर शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा उप शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा तथा प्रधानाचायों की निगरानी में संचालित की जा रही है। लाभार्थियों को लाभ सीधा उनके खातों हस्तांतरित किया जाता है। बिचौलियों और गुमराह करने वालों से सचेत रहें। सम्बन्धित विषय प्रवक्ता विद्यार्थी की प्रगति का पूरा रिर्काड तैयार करेंगे।

13 विद्यार्थी जब दो साल की कोचिंग के बाद प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते है तो उसका परिणाम शिक्षा निदेशालय को जरूर भेजें। शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिलने पर उसका विस्तृत विवरण भेजे। योजना का मुल्यांकन करने में यह जानकारी महतवपूर्ण है।

14 आवश्यक्ता पड़ने पर शिक्षा निदेशालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक उच्चत्तर शिक्षा
हिमाचल प्रदेश